सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 17/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2015/00019

अनवान

1. श्रीमती ललिता पत्नी स्व. श्री राधेश्याम नंगारची, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
2. श्री लेहरीलाल पिता हीरालाल मेहता, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।

– प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गंगा पिता स्व. श्री नारू उर्फ नारीया भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
2. श्री जमना पिता स्व. श्री नारू उर्फ नारीया भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
3. श्री जानकी पिता स्व. श्री नारू उर्फ नारीया भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
4. श्रीमती रूपली पत्नी नारीया भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
5. श्रीमती तुलसी पुत्री स्व. श्री फतहलाल भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
6. श्री कन्हैयालाल पिता स्व. श्री फतहलाल भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
7. सुश्री अमरी पुत्री स्व. श्री फतहलाल भील, उम्र अल्पव्यस्क बविलायत माता श्रीमती सीता पत्नी स्व. श्री फतहलाल भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
8. सुश्री विद्या पुत्री स्व. श्री फतहलाल भील, उम्र अल्पव्यस्क बविलायत माता श्रीमती सीता पत्नी स्व. श्री फतहलाल भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
9. श्री नरेश पिता स्व. श्री फतहलाल भील, उम्र अल्पव्यस्क बविलायत माता श्रीमती सीता पत्नी स्व. श्री फतहलाल भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
10. श्रीमती सीता पत्नी स्व. श्री फतहलाल भील, निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल।
11. सरकार जरिये उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 14-03-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि मौजा चांगला मे प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी संख्या 542 रकबा 0.7400हे. स्थित हो विगत 60 वर्षो से प्रार्थीगण के आधिपत्य मे चली आ रही हैं। उक्त भूमि मगरीली हो प्रार्थीगण की भूमि से मिली हुई हैं। उक्त आराजी संख्या 542 के संबंध मे एक फर्जी आवंटन

दिनांक 09.03.1984 को विपक्षी संख्या 1 से 10 के पूर्व पुरूष श्री नारू उर्फ नारीया पिता रूपा मीणा के नाम से किया गया हैं। उक्त आवंटन राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया है। उक्त भूमि के संबंध मे सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की गई एवं कब्जा सुपुर्दगी भी गुपचुप तरीके से की गई हैं। मौके पर किसी प्रकार का कब्जा श्री नारू को प्रदान नहीं किया गया हैं। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटित भूमि पर 2 वर्ष मे काश्त किया जाना आवश्यक है, किन्तु आवंटी द्वारा उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं किया गया हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा बोयी गई फसल खड़ी होकर बाड़ एवं वृक्ष आदि प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल द्वारा किये गये विधि विरूद्ध आवंटन दिनांक 09.03.1984 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश जैन द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा। प्रकरण मे विपक्षीगण के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद विपक्षीगण की ओर से प्रकरण मे कोई जवाब प्राप्त न होने से जवाब बंद किया गया। तहसीलदार झाड़ोल से विवादित आराजी पर किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार झाड़ोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 29.06.2016 से प्रेषित मौका पर्चा रिपोर्ट द्वारा न्यायालय को अवगत कराया है कि मौजा चांगला के नये राजस्व ग्राम गोड़वा के आराजी संख्या 542 रकबा 0.74हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे तुलसी, कन्हैयालाल भमरी विद्या नरेश पिता फतहलाल ना.बा. संरक्षक माता सीता, सीता बेवा फतहलाल 1/5हि.ब. गंगा जमना जानकी पिता नारू, रूपली बेवा नारू 4/5भील सा.देह खातेदार दर्ज रेकर्ड हैं, जिसमे रकबा 0.12हे. पर अपीलान्ट संख्या 1 का कब्जा हो मौके पर कांटो की बाड़ लगा रखी हैं। रकबा 0.39हे. मौके पर पड़त हो प्रतिवादी संख्या 1 व लेहरीलाल पिता हीरालाल अपना कब्जा बताते हैं। रकबा 0.03हे. पर मोहनलाल पिता केसुलाल तेली द्वारा कब्जा कर भूमि को समतल किया गया है। रकबा 0.17हे. पर प्रतिवादी खातेदार स्वयं का कब्जा हो भूमि पड़त हैं। रकबा 0.03हे. पर लेहरीलाल पिता हीरालाल का कब्जा हो मौके पर वाउण्ड्रीवाल बनी हुई हैं। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड़ अधिकारी से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 506/84 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण मे एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली संख्या 506/84 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण के पूर्व पुरूष श्री नारू पिता रूपा भील द्वारा आवेदन करने पर

पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, प्रधान, सरपंच आदि के हस्ताक्षर मौजुद हो उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल के हस्ताक्षर भी आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार से प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित भूमि पर आंशिक रूप से अपीलान्ट भी काबिज होना पाया गया है, किन्तु प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की अपीलान्ट का उक्त विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा विपक्षीगण के पूर्व पुरूष को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तेा उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो अपीलान्ट का कब्जा साबित करती। अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध मे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त विवादित आराजीयात पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने, आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् मात्र वर्तमान कब्जे के आधार पर किसी भी आवंटी के आवंटन को निरस्त कर उसे भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। ऐसी स्थिति मे नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 09.03.1984 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर